FORM NO. III

APP-A
Orim-I

फर्द अहकाम

2022/43

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

श्रवणसिंह पुत्र रिसालसिंह राजपूत बनाम इस्लामुद्दीन पुत्र सदीक मणियार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद नं. 28 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2022	यह प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम अधिवक्ता श्री अरविन्द सैनी द्वारा पेश करने पर बाद जाँच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.04.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28/4/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अवकाश पर है पत्रावली [illegible] दिनांक 12/5/22 को पेश रीडर	
12/5/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अवकाश पर है पत्रावली [illegible] दिनांक 26/5/22 को पेश रीडर	
26/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप.। पत्रावली वास्ते इ.तदार मिसल दिनांक 16/6/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
16/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/6/22 को पेश हो। [illegible] झुंझुनूं	
20/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7/7/22 को पेश हो अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:58 IST
Reason: SelfAttested

7/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रकाराम उपस्थित। पी ओ साहब आज राजकार्य अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/7/22 को पेश
28/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पत्नकाराम उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक अप्रार्थी वकील ने दफा-5 का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी एक प्रति प्रार्थी वकील को दी गयी। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 5/8/22 को पेश हो अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं
5/8/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/8/22 को पेश हो।
22/8/22	पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/1/2022 की जानकारी दिनांक 16/2/22 को हुई थी नकल हेतु आवेदन कर दिया था। प्रार्थी को दिनांक 18/2/22 को नकल होने पर प्रार्थी ने अपील पेश कर दी थी। दिनांक 16/2/22 से पूर्व प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण माननीय [illegible] अजमेर, मा. नीय राजस्थान उच्च [illegible] न्यायालय द्वारा मियाद अधि. दिनांक [illegible] तक विलम्बित रखा गया है। प्रार्थी द्वारा अपील इससे पूर्व ही अपील पेश कर दी गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 21/5/22 के आदेश के विरुद्ध दिनांक 16/3/22 को मियाद बाहर अपील पेश की है। जिसका आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी दिनांक 16/2/22 को होना बताया है। प्रार्थी ने आदेश की जानकारी कैसे हुई इसका कोई कारण नहीं बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है अतः प्रार्थना पत्र दफा-5 आधारहीन होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का निस्तारण कोविड-19 के दौरान हुआ था तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस एवं प्रार्थना पत्र में कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण माननीय रा.म. अजमेर, मा. रा.उ. न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा मियाद अधिनियम दिनांक 28/2/22 तक के निलम्बन को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। जिसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र दफा-5 स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र दफा-5 स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया पत्रावली पेशन शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता संलग्न मिसल अपील है।

अतिरिक्त जिला कलक[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:58 IST
Reason: SelfAttested